शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र/राशिके/आईईडी/2011/1725 भोपाल, दिनांक 31.12.11

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक,
जिला शिक्षा केन्द्र
समस्त जिले (म.प्र.)

विषयः— स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से मोबाइल स्त्रोत सलाहकार एवं वालेन्टियर की सेवाएं लेने बावत्।
संदर्भः— राशिके से प्रकाशित विज्ञप्ति क्र/राशिके/आईईडी/2011/5799 दिनांक 1.8.2011 एवं पत्र क्र. क्र/राशिके/आईईडी/2011/5989 दिनांक 4.8.2011

विषयांतर्गत सागर, भोपाल तथा उज्जैन जिले में SSA-IED की जिला स्तरीय गतिविधियों हेतु चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं से प्राप्त पत्रों में जिलों के विकासखण्ड हेतु चयनित किए जाने वाले मोबाइल स्त्रोत सलाहकार एवं वालेन्टियर के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। बिन्दुवार स्पष्टीकरण निम्नानुसार है —

क.	स्वयं सेवी संस्था द्वारा उल्लेखित बिन्दु	स्पष्टीकरण
1	क्या डी.एच.एल.एस/सी.बी.आर/डी.एस.ई.—सी.पी/बी.एड.—सी.पी योग्यताधारी आवेदकों को मोबाइल स्त्रोत सलाहकार के रूप में मान्य किया जा सकता है ।	1. डी.एस.ई.—सी.पी/बी.एड.—सी.पी को मान्य किया जा सकता है।
2	क्या डी.एच.एल.एस/सी.बी.आर/डी.एस.ई.—सी.पी/बी.एड.—सी.पी योग्यताधारी आवेदकों को वालेन्टियर हेतु मान्य किया जा सकता है ।	2. हां, मान्य किया जा सकता है ।
3	यदि इन योग्यताधारी आवेदकों को वालेन्टियर में मान्य किया जा सकता तो क्या इनका मेरिट आधार पाठ्यक्रम में केयर गिवर वालों के साथ एकजाई बनेगा या फिर पहले आधार पाठ्यक्रम और केयर गिवर को प्राथमिकता देनी है और निर्धारित संख्या में आवेदक न मिलने पर इनको भर्ती करनाहै या इन योग्यताधारी को वालेन्टियर भर्ती में आधार पाठ्यक्रम या केयर गिवर से पहले भर्ती में मान्यता देनी है, क्योंकि इनका डिप्लोमा अधिक समय का है ।	3.विज्ञापन में दर्शाई गई योग्यता को प्राथमिकता दी जाए ।
4	क्या मेरिट बनाते समय निःशक्तता के डिप्लोमा या डिग्री के साथ—साथ उनकी अकादमिक योग्यता जैसे बी.ए./हायर सेकण्डरी को जोडकर दो का भाग देने वाली प्रकिया ही अपनानी है ?	4.विज्ञापन में दर्शाई गई योग्यता के आधार पर मेरिट बनाई जाए।
5	यदि किसी व्यक्ति के पास एक ही निःशक्तता के डिप्लोमा एवं डिग्री दोनो हैं तो मेरिट में दोनो का औसत लेना है या उच्चतम डिग्री के प्रतिशत ही लेना है ?	5.उच्चतम डिग्री के प्रतिशत लेना उचित होगा ।
6	यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक निःशक्तता में डिग्री या डिप्लोमा है तो क्या उसको कुछ अतिरिक्त अंक प्रदान किए जावेंगे ,साथ ही अनुभव व साक्षात्कार हेतु क्या प्रावधान रखना है ?	6. विकासखण्ड हेतु तीनो प्रकार की निःशक्तता बावत् एक—एक मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों को रखा जाना है । इस दृष्टि से एक विशेष डिग्री को मान्य किया जाना चाहिए। साक्षात्कार एवं अनुभव हेतु

		अलग–अलग अंको का निर्धारण हो सकता है ।
7.	राशिके के 13 सितम्बर के मार्गदर्शी पत्र में यह उल्लेख है कि एक विकाखण्ड पर तीनों निःशक्त वाले मोबाइल स्त्रोत सलाहकार नियुक्ति किए जावें । इस शर्त को पूरी करने में एक स्थिति यह आ सकती है कि किसी एक निःशक्ता वाले ज्यादा आवेदक हों , तब क्या सभी विकासखण्डों में एक–एक नियुक्ति देने के बाद शेष उम्मीदवारों को नहीं लिया जाएगा चाहे वे उत्तीर्ण ही क्यों न हों एवं अन्य निःशक्तता वाले ऐसे उम्मीदवार को लिया जावेगा जो केवल उस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुका है. क्योंकि हमें तो प्रत्येक विकासखण्ड में तीनों निःशक्तता वाले मोबाइल स्त्रोत सलाहकार चाहिए है या फिर केवल उत्तीर्ण उम्मीदवारों के पूरे रिक्त पदों की पूर्ति करनी है चाहे किसी विकासखण्ड में एक ही निःशक्तता वाले एक से अधिक अर्थात् दो या तीन सलाहकार क्यों न हो जावें ।	7. राशिके के पत्रानुसार कार्रवाई की जावे । उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में अन्य निःशक्तता में प्रशिक्षित व्यक्ति को लिया जा सकता है।
8	एम.ओ.यू. के अनुसार किसी भी नियम के उल्लंघन पर संस्था उत्तरदायी होगी एवं विज्ञापन के अनुसार उत्तीर्ण आवेदकों की कमी में ऐसे व्यक्यिों की सेवाएं ली जा सकती हैं जो कि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुके हैं। प्रथम दृष्टया यह भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 का उल्लंघन प्रतीत होता है । चूंकि विज्ञापन में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा ऐसी शिथिलता दी गई है तो संभवतः आपने आर.सी.आई से इस बात की अनुमति ले ली होगी । कृपया इस संबंध में भी स्थिति स्पष्ट करें क्योंकि स्वयं सेवी संस्था किसी भी तरह के नियम/कानून के उल्लंघन नहीं करना चाहती चाहे कुछ पद रिक्त ही क्यों न रहें ।	8.जिले में निर्धारित योग्यता वाले आवेदक नहीं मिलने की स्थिति में सर्व शिक्षा अभियान के प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड के मिनिट्स के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर विचार किया जा सकता है जो निर्धारित योग्यता में अध्ययनरत हों तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी योग्यता अधिकतम 2 वर्षों में पूर्ण हो सके । ऐसे आवेदकों के आवेदन के साथ संबंधित संस्था द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए ।
9	प्रत्येक माह में होने वाली मोबाइल स्त्रोत सलाहकरों की मासिक बैठक विकास खण्ड स्तर पर हों जहां निःशक्त बच्चों का मूल्यांकन भी किया जा सके । साथ ही इस बैठक में अन्य संबंधित विशेषज्ञ (मनोविज्ञानक, फिजियोथेरेपिस्ट अदि) भी उपस्थित होंगें । इससे कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी । परन्तु विशेषज्ञों के मानदेय एवं निःशक्त बच्चों के आवागमन हेतु बजट का प्रावधान नहीं है । यदि उक्त कार्य हेतु नवाचार मद से व्यय की अनुमति होगी तो बेहतर होगा ।	9. मासिक बैठक माह मे एक बार जिला शिक्षा केन्द्र पर आयोजित की जावे।
10	मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों को प्रोत्साहन करने हेतु प्रत्येक माह, माह का सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्त्रोत सलाहकार का चुनाव करना एवं उन्हें रु.1500 से रु.1000 प्रोत्साहन राशि देने से उनके कार्य की गुणवत्ता को बढाया जा सकता है । आपका सुझाव अपेक्षित है ।	10. इस हेतु सर्वप्रथम चयनित स्वयं सेवी संस्था द्वारा मोबाइल स्त्रोत सलाहकार से उत्कृष्ट कार्य कराया जाना चाहिए। CWSN के शाला प्रवेश,सफलता की कहानी आदि पर सत्रांत में वरिष्ठ कार्यालयों को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
11	जिले के प्रत्येक बच्चे की आई. ई. पी. निर्माण हेतु पृथक बजट नहीं है।यदि टी.एल.एम. मद से व्यय करने की अनुमति हो तो बेहतर होगा।अन्यथा आई.ई.पी. निर्माण में लगने वाली सामग्री के व्यय का किस तरह पूर्ण किया जाए निर्देशित करें ।	11. आईईपी हेतु फार्मेट एक बार जिला शिक्षा केन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से बनाकर उसकी छायाप्रति कराई जाकर मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों एवं वालेन्टियरों को वितरित की जानी चाहिए ।

12	एम.ओ.यू. में उल्लेखित 3 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय हेतु राशि के संबंध में स्पष्ट जानकारी नही है । यदि संस्था के बजट का 3 प्रतिशत है अथवा सम्पूर्ण जिले के बजट का 3 प्रतिशत है तो यह राशि अत्यधिक न्यून है ।	12. एम.ओ.यू. के उल्लेखानुसार।
13	स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से जिले की आवश्यकताओं एवं संसाधनों के अनुसार नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने हेतु बजट में रिऐप्रोप्रिऐशन की छूट मिले तो उद्देश्य प्राप्ति और बेहतर होगी ।	13. इस हेतु प्रस्ताव जिला समिति की अनुशंसा उपरांत राज्य शिक्षा केन्द्र को भेजा जाए।
14	एमआरसी एवं वालेन्टियर के आरक्षित पदों पर उम्मीदवार नही मिलने पर क्या पद रिक्त रखे जावें ?	14. पदों पर सर्वप्रथम शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर लागू करना है । यदि आरक्षित पदों पर उम्मीदवार न मिलें तो पद रिक्त रखा जाए तथा भविष्य मे स्वयं सेवी संस्था विज्ञापन के माध्यम से वाक इन इन्टरव्यू द्वारा नियुक्ति करे।

उपरोक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए शीघ्र स्वयं सेवी संस्था के स्तर से संबंधितों के नियुक्ति आदेश पत्र जारी कराएं जाएं । मोबाइल स्त्रोत सलाहकार तथा वालेन्टियर के जॉब चार्ट उक्त आदेश में आवश्यक रूप से संलग्न किए जाएं एवं कार्यो पर अमल सुनिश्चित कराया जाए।

संलग्नः– जॉब चार्ट ।

31.12.11

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

पृ.कृ./राशिके/आईईडी/2011/11726 भोपाल दिनांक 31.12.11

प्रतिलिपि –

1. कलेक्टर, समस्त जिले (म.प्र.)।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ ।
3. अध्यक्ष/सचिव समस्त चयनित स्वयं सेवी संस्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु ।
4. सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट **www.ssa.mp.gov.in/circulars.htm** एवं एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल
मोबाइल स्त्रोत सलाहकार जॉब चार्ट

मोबाइल स्रोत सलाहकारों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

- अपने विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का विकलांगतावार डाटा रखना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना। यदि ऐसा बच्चा ड्राप आउट होता है तो कारण का पता लगाकर समाधान खोजना ।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के औपचारिक व कार्यसाधक मूल्यांकन करना ।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा उनके पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं शिक्षकों को विशेष कौशल जैसे – ब्रेल, गणित के उपकरणों का उपयोग, समूह या व्यक्तिगत श्रवण यंत्र का उपयोग सम्पूर्ण संचार आदि अन्य तकनीक को दिखाना।
- नियमित कक्षा शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की अकादमिक अथवा अन्य कोई समस्या एवं समाधान के बारे में सलाह देना और कक्षा स्तर पर अकादमिक समझ विकसित करने हेतु शिक्षक को सहयोग प्रदान करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम उचित सुधार व अनुकूल करने हेतु सुझाव देना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर उन क्षेत्रों में विशेष समझ देना जो नियमित कक्षा में नहीं समझ पाए हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की ओर से उनके पालकों तथा समाज को प्रेरित करना तथा सलाह देना।
- नियमित शिक्षक, ब्लाक स्रोत समन्वयक, जनशिक्षक तथा वालेन्टियर आदि का प्रशिक्षण व बच्चों की शाला में पहुँच, ठहराव तथा प्रशिक्षण अधिगम प्रकिया के बारे मे समन्वय करना। विकास खंड स्रोत केन्द्र पर उपलब्ध स्रोत कक्ष के प्रभारी के रूप में कार्य करना।
- शिशु शिक्षा केन्द्र व आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षण देना। उनकी शीघ्र पहचान में सहायता करना।
- CWSN के पालकों के प्रशिक्षण आयोजन में सहयोग करना।
- जिला मुख्यालय के विकासखण्ड पर नियुक्त मोबाइल स्रोत सलाहकार अपने विकासखण्ड के साथ–साथ जिले की आईईडी गतिविधियों का भी समन्वय करेंगें। सभी विभागों जैसे–डीडीआरसी, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग आदि से समन्वय करना ।
- सर्व शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना बनाने मे मदद करना तथा उसे कियान्वित करना।
- चयनित स्वयं सेवी संस्था के साथ MOU की शर्तों के अनुसार कार्यों में सहयोग प्रदान करना । शाला स्तर पर CWSN की व्यक्तिगत शैक्षिक योजना (IEP) तैयार करा कर इसके लागू करने हेतु प्रयास करना एवं नियमित फालोअप करना ।
- अपने विकासखंड में पदस्थ वालेन्टिरों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

Coord (IED)
RSK, BPL

राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल
वालेन्टियर जॉब चार्ट

वालेन्टियर के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

- ऐसे गंभीर रूप से पीढित CWSN जो सामान्य शाला में जाने हेतु असमर्थ हैं उनको उनके घर पर ही शाला जाने हेतु तैयार करना।
- CWSN के अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहकर CWSN की आवश्यकताएं पहचानना और शाला जाने हेतु अभिप्रेरित करना ।
- निरंतरता के साथ CWSN के घर जाकर उसे शाला लाने हेतु सार्थक प्रयास करना।
- SSA-IED गतिविधियों हेतु चयनित स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधियों तथा मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों के निर्देशन में कार्य करना ।
- स्वयं सेवी संस्था को संबंधित CWSN के बारे में निरंतर रिपोर्ट देना ।
- अपने क्षेत्र में कम से कम 3 CWSN को चिन्हित कर उनके लिए सतत कार्य करना ।
- CWSN को शाला के लिए तैयार करना उसे अभिभावकों के सहयोग से निकट की शाला ले जाना एवं शाला समय पर शाला में CWSN के साथ रहना और शाला शिक्षक का सहयोग करना ।
- यदि संबंधित 3 CWSN को वालेन्टियर द्वारा शाला मे दर्ज करवा दिया गया है तो पुनः अन्य 3 CWSN को चिन्हित कर उपरोक्त कार्य करना।
- चयनित संबंधित स्वयं सेवी संस्था के तकनीकी प्रतिनिधियों (विशेष शिक्षकों), मोबाइल स्रोत सलाहकारों के माध्यम से वालेन्टियर हेतु 3 CWSN चिन्हित किये जाएंगे एवं CWSN के मूल्यांकन के आधार पर वालेन्टियर को CWSN हेतु शाला प्रवेश बावत लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

Coord. (IED)
RSK, BPL